कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 54 / 2018 / 10–11 / 5 / 3945 भोपाल, दिनांक 22/12/18

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
वनमण्डल (सामान्य) छतरपुर,
मध्यप्रदेश।

विषयः– **जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त छतरपुर पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2018 / 1428, दिनांक 12.12..2018

––0––

विषयांतर्गत में संदर्भित पत्र से तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव की हार्डकापी प्राप्त हुयी है। वेबपोर्टल पर अपलोड भाग–1 एवं भाग–2 के अभिलेखों का मिलान हार्डकापी के अभिलेखों से करने पर निम्न कमियां पायी गयीः–

1. प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(iii) में अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की प्रति हार्डकापी में संलग्न नही है। हार्डकापी मे सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की छायाप्रति संलग्न की गयी है। जो मान्य नही है। अतः बिन्दु क्रमांक C(iii) में अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की पूर्ण रंगीन प्रति हस्ताक्षर युक्त हार्डकापी में संलग्न की जावें।
2. प्रस्ताव भाग–1 के बिन्दु क्रमांक C(iv) में अपलोड जियो–रिफरेन्स मेप हार्डकापी में संलग्न नही है। हार्डकापी में संलग्न जियो–रिफरेन्स मेप मे कोर्डिनेट नही है। जो मान्य नही है। अतः बिन्दु क्रमांक C(iv) में अपलोड जियो–रिफरेन्स मेप की हस्ताक्षरित प्रति हार्डकापी मे संलग्न की जावे।
3. प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक D(i) में परियोजना निर्माण सें संबंधित टीप, न्यूनतम वनक्षेत्र होने संबंधी तुलनात्मक विवरण पत्रक एवं तीन विकल्पों वाला मानचित्र अपलोड किया गया है। जिसे प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्न नही किया गया है। अतः उक्त तीनो अभिलेखो की हस्ताक्षरित प्रति हार्डकापी मे संलग्न की जावें।
4. प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक G(i) में योजना से संबंधित कास्ट बेनिफिट ऍनालिसिस के नवीन पत्रक अपलोड है। जो कि हार्डकापी में संलग्न नही है। अतः वेबपोर्टल पर अपलोड अभिलेख हार्डकापी में संलग्न किये जावें।
5. प्रस्ताव की हार्डकापी में FRA प्रमाण पत्र linear project का संलग्न किया गया है। जबकि वेबपोर्टल पर प्रस्ताव के भाग–1 के बिन्दु क्रमांक K(i)(a) में Non linear project का FRA प्रमाण पत्र अपलोड है। अतः वेबपोर्टल पर अपलोड अनुसार ही हार्डकापी में FRA प्रमाण पत्र (Non linear project का) संलग्न किया जावें।
6. प्रस्ताव भाग–1 के बिन्दु क्रमांक L(vi) में अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की प्रति हार्डकापी में संलग्न नही है। हार्डकापी मे सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की छायाप्रति संलग्न की गयी है। जो मान्य नही है। अतः बिन्दु क्रमांक L(vi) में अपलोड सर्वे ऑफ इंडिया की टोपोशीट की पूर्ण रंगीन प्रति हस्ताक्षर युक्त हार्डकापी में संलग्न की जावें।

–2–

7. प्रस्ताव की हार्डकापी में भाग—2 के अनुसार प्रभावित वनभूमि में स्थित वृक्षो की जानकारी एफ.आर.एल.—2 मीटर एवं एफ.आर.एल.—4 मीटर की संलग्न नही है। अतः एफ.आर.एल.—2 मीटर एवं एफ.आर.एल.—4 मीटर पर प्रभावित होने वाले वृक्षो की जानकारी हार्डकापी में संलग्न करे।
8. वेबपोर्टल पर प्रस्ताव के भाग—2 के बिन्दु क्रमांक—8 से 12 तक की जानकारी के अभिलेख हार्डकापी में संलग्न नही है। अतः उक्त बिन्दुओ की जानकारी के अभिलेख/प्रमाण पत्र हार्डकापी में संलग्न करे।

अतः उपरोक्त बिन्दुओ के अभिलेख प्रस्ताव की हार्डकापी में संलग्न किये जाने हेतु हार्डकापी मूलतः (04 प्रति में) संलग्न कर वापिस की जा रही है। निर्देश अनुसार अभिलेख हार्डकापी मे संलग्न कर प्रस्ताव की हार्डकापी तीन प्रतियों मे शीघ्र प्रेषित करे।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।
(प्रस्ताव की 04 प्रतियां)

21/12/18

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ—3/54/2018/10—11/5/3946 भोपाल, दिनांक 22/12/18

प्रतिलिपिः—
1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) छतरपुर वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नौगांव, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21/12/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल